राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 355 सन 2017

अनवान :–

1. बलराम 2 कृष्ण पुत्रगण रामू जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामू पुत्र पीरूराम जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. भादरराम 3 देवीलाल 4 छोटू पि0 रामु जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
5 प्रहलाद 6 भालसिह 7 रामचन्द्र 8 धर्मपाल पुत्रगण शंकरलाल पुत्र रामु जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।
9. शान्ति 10 रेशमा पुत्रियान रामू जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की अराजी जरई खाता संख्या 110/101 के प0न0 385/420(34) किला न0 22 ,22/0.506 ,प0न0 385/421(39) किला न0 1 ,2 ,9 ,10/ प्रत्येक 0.2530हैक , 11/1 की 0.0840हैक , 12 ,18 ,19 ,22 ,23/ प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 385/422(59) किला न0 10/0.2530हैक कुल 3.1200हैक भूमि रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी स्थित जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादीगण के दादा पीरूराम पुत्र हरखाराम जाति धाणक साकिन बरवाली के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है जिसे वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ,10 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहनें है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 शंकरलाल के पुत्र है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये अब वाद भूमि में वादीगण 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पाचों बहिब 5/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 चारों बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो गये है किन्तु वादीगण के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश हुआ प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को लोक भावना से प्रेरित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हक हिस्सा को अपने भाईयो /पिता भाई के पुत्रों वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार को एतराज नही है व राजीनामा पेश किया गया।

हमने वकील वादी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा पीरूराम पुत्र हरखां के नाम से दर्ज थी वादी के दादा पीरूराम एवं उसकी पत्नि के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से उनके तीनों पुत्रों पर औद हुई एव वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उनके हक हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होनेा साबित है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसकी न्यायालय से धोषणा करवाने का वादी अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 9 ता 10 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,9 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीगण व प्रतिावदी संख्या ,2 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार कर लिया है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी काबिज डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,9 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टॉम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि अराजी जरई खाता संख्या 110/101 के प0न0 385/420(34) किला न0 22 ,22/0.506 ,प0न0 385/421(39) किला न0 1 ,2 ,9 ,10/ प्रत्येक 0.2530हैक , 11/1 की 0.0840हैक , 12 ,18 ,19 ,22 ,23/ प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 385/422(59) किला न0 10/0.2530हैक कुल 3.1200हैक भूमि रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 पाचों बहिब 5/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 चारों बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
~~राजस्व लोक दालत~~–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–सोनडी

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. बलराम 2 कृष्ण पुत्रगण रामू जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 रामू पुत्र पीरूराम जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।

2. भादरराम 3 देवीलाल 4 छोटू पि0 रामु जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।

5 प्रहलाद 6 भालसिह 7 रामचन्द्र 8 धर्मपाल पुत्रगण शंकरलाल पुत्र रामु जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।

9. शान्ति 10 रेशमा पुत्रियान रामू जाति धाणक साकिन बरवाली तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 355 सन 2017 निर्णय दिनांक

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि अराजी जरई खाता संख्या 110/101 के प0न0 385/420(34) किला न0 22 ,22/0.506 ,प0न0 385/421(39) किला न0 1 ,2 ,9 ,10/ प्रत्येक 0.2530हैक , 11/1 की 0.0840हैक , 12 ,18 ,19 ,22 ,23/ प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 385/422(59) किला न0 10/0.2530हैक कुल 3. 1200हैक भूमि रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 पाचों बहिब 5/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 चारों बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–सोनडी